

राजस्थान सरकार  
वित्त विभाग  
(कर अनुभाग)

जयपुर, दिनांक : नवम्बर 18, 2016

सं. एफ. 12(32)एफडी/टैक्स/2014-118 :- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग के आदेश सं. एफ. 12(32)एफडी/टैक्स/2014-118 दिनांक 01.02.2016 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

राज्यपाल के आदेश से,

(शंकर लाल कुमावत)

संयुक्त शासन सचिव

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

"सं. एफ.12(32) एफ.डी./टैक्स/2014-118

जयपुर, दिनांक : 01.02.2016

आदेश

राज्य मंत्रिमण्डल आदेश सं. 216/2015 दिनांक 28.12.2015 के अनुपालन में और राजस्थान विनिधान प्रोन्नति स्कीम-2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "स्कीम" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) के खण्ड 8 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस आदेश में यथा प्रगणित शर्तों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार, प्रोसेस हाऊस के साथ पी.यू. कोटेड टैक्सटाइल फैब्रिक्स और वार्प निटिंग के विनिर्माता मैसर्स मयूर यूनिकोटर्स लिमिटेड, ग्राम ढोडसर, जिला जयपुर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उद्यम" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) के पक्ष में निम्नलिखित कस्टमाइज्ड पैकेज (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'पैकेज' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) का, इसके द्वारा आदेश करती है, अर्थात्:-

1. **पैकेज के लिए पात्रता.**- उद्यम निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर पैकेज के अधीन उपलब्ध फायदे प्राप्त करने का पात्र होगा, अर्थात् :-
  - (i) उद्यम स्कीम के अधीन यथा उपबंधित समस्त शर्तों को पूरा करेगा।
  - (ii) उद्यम राज्य में प्रोसेस हाऊस के साथ पी.यू. कोटेड टैक्सटाइल फैब्रिक्स और वार्प निटिंग के विनिर्माण के लिए एक नई इकाई की स्थापना करेगा; और, -
    - (क) 275 करोड़ रु. का न्यूनतम विनिधान करेगा; और
    - (ख) एक हजार से अधिक व्यक्तियों को नियोजन उपलब्ध करायेगा।

(iii) उद्यम स्कीम की प्रवर्तन कालावधि के दौरान वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करेगा।

(iv) उद्यम राज्य सरकार की किसी अन्य स्कीम के अधीन किसी सहायकी के फायदे का दावा करने का पात्र नहीं होगा।

टिप्पण : अभिव्यक्ति "विनिधान" और 'नियोजन' का वही अर्थ होगा जो स्कीम के अधीन परिभाषित है।

2. पैकेज के अधीन फायदे :

| क्र. सं. | फायदे की प्रकृति | पैकेज के अधीन फायदे  |
|----------|------------------|--|
| 1.       | सहायकी           | <p>क. सहायकी की मात्रा :</p> <p>(i) विनिधान सहायकी : मू.प.क. और के.वि.क., जो शोध्य हो गये हैं और उद्यम द्वारा निक्षिप्त करा दिये गये हैं, का 55%।</p> <p>(ii) नियोजन जनन सहायकी : मू.प.क. और के.वि.क., जो शोध्य हो गये हैं और उद्यम द्वारा निक्षिप्त करा दिये गये हैं, के 20% तक।</p> <p>ख. सहायकी की कालावधि : सहायकी हकदारी प्रमाणपत्र के जारी किये जाने की तारीख से सात वर्ष की कालावधि के लिए उपलब्ध होगी।</p>   |
| 2.       | छूटें            | <p>(i) स्कीम के अधीन जारी किये गये हकदारी प्रमाणपत्र के आधार पर अधिसूचना संख्यांक एफ. 2(51) एफ.डी. /टैक्स/2015-63 दिनांक 23.07.2015 के अधीन भूमि के क्रय या पट्टे और ऐसी भूमि पर संनिर्माण पर स्टाम्प शुल्क के संदाय से 100% छूट;</p> <p>(ii) स्कीम के अधीन जारी किये गये हकदारी प्रमाणपत्र के आधार पर अधिसूचना संख्यांक एफ. 12(28) एफ.डी. /टैक्स/2010 पार्ट III -192 दिनांक 24.02.2015 के अधीन वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारंभ की तारीख से पूर्व, राज्य के बाहर से नई इकाई के संयंत्र की स्थापना के लिए स्थानीय क्षेत्रों में लाये गये पूंजीगत माल पर प्रवेश कर के संदाय से 75% छूट।</p> |
| 3.       | अन्य फायदे       | उपर्युक्त वर्णित फायदों के अतिरिक्त, स्कीम के अधीन यथा उपबंधित अन्य फायदे उद्यम को, यदि पात्र हो तो, उपलब्ध होंगे।   |

3. **फायदे प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया.-**  
पैकेज के अधीन फायदे प्राप्त करने के लिए उद्यम, स्कीम के अधीन यथा उपबंधित सुसंगत प्ररूप (प्ररूपों) में, प्ररूप के शीर्ष पर "आदेश सं. एफ. 12 (32) एफ.डी./टैक्स/2014-118 दिनांक 01.02.2016 द्वारा जारी कस्टमाइज्ड पैकेज के अधीन" अभिव्यक्ति वर्णित करते हुए आवेदन प्रस्तुत करेगा। स्कीम के अधीन यथा उपबंधित फायदे प्राप्त करने के लिए रीति और प्रक्रिया यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगी।
4. **सामान्य निबंधन और शर्तें.-**  
(i) उद्यम को स्कीम के अधीन यथा उपबंधित ब्याज सहायकी के फायदे अनुज्ञात नहीं किये जायेंगे।  
(ii) इस पैकेज के अधीन फायदे इस शर्त पर उपलब्ध होंगे कि उद्यम ने दो सौ पचहत्तर करोड़ रुपये का न्यूनतम विनिधान किया है और एक हजार से अधिक व्यक्तियों को नियोजन उपलब्ध करवाया है।
5. **राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 और राजस्थान विनिधान प्रोन्नति स्कीम-2014 के उपबंधों का लागू होना.-**  
(i) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।  
(ii) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।  
(iii) पैकेज के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, राजस्थान विनिधान प्रोन्नति स्कीम-2014 के समस्त उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।
6. **पैकेज के क्रियान्वयन से संबंधित शिकायतों को दूर करना.-** इस आदेश के क्रियान्वयन से संबंधित कोई शिकायत राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम सं. 7) की धारा 3 के अधीन गठित राज्य सशक्त समिति को ही उसकी नोडल एजेन्सी के माध्यम से निर्दिष्ट की जायेगी। उक्त समिति का विनिश्चय अंतिम होगा।

राज्यपाल के आदेश से,

ह०


(डॉ. देवराज)

संयुक्त शासन सचिव"



प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को सी.डी. में साफ्ट कॉपी में संलग्न प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश का असाधारण गजट के भाग 1(ख) में प्रकाशन करावें। यह भी लेख है कि इस आदेश की 10 प्रति इस विभाग को तथा 10 प्रति मय बिल के सीधे ही आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर को भेजें। कृपया उपलब्ध सी.डी. का मिलान संलग्न हस्ताक्षरित अधिसूचना से मिलान कर प्रकाशन करावें।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (वित्त मंत्री) महोदया।
3. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर।
5. आयुक्त, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन, राजस्थान, जयपुर।
6. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष, एस.ई.सी.
8. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)।
11. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
12. मैसर्स मयूर यूनिकोटर्स लिमिटेड, ग्राम ढोडसर, जिला जयपुर, मार्फत आयुक्त, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन, राजस्थान, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव